परियोजना का नामः— **थाना घनसाली जनपद टिहरी गढवाल हेतु वन भूमि हस्तान्तरण**

## प्रतिवेदन

## (परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद—.टिहरी गढवाल के अन्तर्गत थाना घनसाली हेतु भिंलगना रेज के गौरिया कक्ष-13 में 0.10 हे0 पौखाल रेज के देवारी कक्ष -1 अ में 0.10 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है ।

तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढवाल

थानाध्यक्ष
थाना — घनसाली
टिहरी गढवाल

ह0/—
पुलिस अधीक्षक
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
टिहरी गढ़वाल

(234)

संख्याः–जी0आई0:– 2621 /7–1–2012–800(3479)/2010.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 11 जून 2012.

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत थाना घनसाली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.10 हे0 (प्रशासनिक खण्ड–833.00 वर्ग मीटर + कार पार्किंग–167.00 वर्गमीटर = 1000 वर्ग मीटर अर्थात 0.10 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2591/1जी–2125 (टिहरी) दिनांक 24–05–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत थाना घनसाली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.10 हे0 (प्रशासनिक खण्ड–833.00 वर्ग मीटर + कार पार्किंग–167.00 वर्गमीटर = 1000 वर्ग मीटर अर्थात 0.10 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./09/208/2010/एफ.सी./40 दिनांक 10–04–2012 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रत्यावर्तित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकृत अधिकारी/विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन0पी0वी0, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
15. प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमॉकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार डम्पिंग स्थल पुनर्वास पुर्नस्थापना कार्य वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आं0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः–जी0आई0:– 2621 /7–1–2012–800(3479)/2010 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
7. पुलिस अधीक्षक, जनपद–टिहरी गढ़वाल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/09/208/2010/एफ.सी. /40

दिनॉक: 10.04.2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वन,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

विषयः जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत थाना धनसाली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.10 हे0 (प्रशासनिक खण्ड– 833.00 वर्गमीटर + कार पार्किंग– 167.00 वर्गमीटर = 1000 वर्गमीटर अर्थात् 0.10 हे0) भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 1736/1जी–2125(टिंहरी), दिनांक 17.02.2012

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 168/ 1जी –3125 ( टिहरी ) दिनॉक 24.07.2010 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.06.2011 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है की केन्द्र सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत थाना धनसाली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.10 हे0 (प्रशासनिक खण्ड– 833.00 वर्गमीटर + कार पार्किंग– 167.00 वर्गमीटर = 1000 वर्गमीटर अर्थात् 0.10 हे0) भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6) परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

7) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8) प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य किया जाएगा।

9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों/स्टाफ के लिंए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

भवदीय,

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अति0 वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4. पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
5. आदेश पत्रावली ।

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर नं० ..........
फाइल नं० ..........
दिनांक ..........

संख्याः 245/XX(1)-2014-4(17)2010

प्रेषक,

विक्रम सिंह यादव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 29 जनवरी 2014

**विषयः-पुलिस बल आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में थाना, घनसाली के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांकः 137/XX-1/14-4(17)2010 दिनांक 17.01.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो थाना घनसाली, जनपद टिहरी के भवन निर्माण हेतु लागत लाभ परीक्षण तथा अप्रेजल के सम्बन्ध में दिनांक 27.01.2014 को विभागीय सचिव समिति की बैठक के सम्बन्ध मे है। उक्त बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रकरणाधीन कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन के पुलिस बल आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत उक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत सीमा से अधिक होने तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य हेतु चयनित स्थल के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने पर बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्य के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. प्रकरणाधीन कार्य हेतु वर्तमान में चयनित कार्यस्थल गदेरे में है तथा इसमें कतिपय चीड़ के वृक्ष भी हैं। उक्त के दृष्टिगत गत वर्ष के प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों एवं वृक्षों के पातन में अतिरिक्त धनराशि व्यय होने के दृष्टिगत भी यह कार्यस्थल कार्यसम्पादन हेतु उपयुक्त नहीं है। कृपया उक्त कार्य हेतु शीघ्रातिशीघ्र नवीन कार्यस्थल का चयन कर उक्त को गृह (पुलिस) विभाग के नामे कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. उक्तानुसार उपयुक्त कार्यस्थल के चयन एवं उक्त के गृह विभाग के नामे होने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित कार्ययोजना की सीमा में ही विस्तृत आगणन गठित कराते हुए तद्विषयक प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( विक्रम सिंह यादव )
अनु सचिव।

अनुभाग अधिकारी
पी/व्हीन
7/2
सहा० पुलिस महानिरीक्षक
पी/एम
पुलिस मुख्यालय

HGPIM
AC-II

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
फोन / फैक्सः 013762 232077,
ई मेलः dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्र संख्याः 647 / 12 – 1 (2) नई टिहरी, दिनांकः ,सितम्बर 3/9/ , 2013

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल ।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल मं अन्तर्गत थानां घनसाली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.10 हे0(प्रशासनिक खण्ड–833 वर्गमीटर एवं 187.00 वर्गमीटर ) कुल 1000 वर्गमीटर अर्थात् 0.10 हे0 वन भूमे का गैर वानिकी कार्यो हेतु पुलिस विभाग कां प्रत्यावर्तन ।

संदर्भ : आपका पत्रांक–भ–72/06 दिनांक 2/9/ 1013
महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/09/208/2010/एफ0सी0/684 दिनांक 15–6–2011 से सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/09/208/2010/एफ0सी0/40 दिनांक-10–04–10–4–2012 से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत थाना घनसाली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.10 हे0 (प्रशासनिक खण्ड 833 वर्गमीटर +कार पार्किंग –167 वर्गमीटर अर्थात् 1000 वर्गमीटर अर्थात् 0.10 हे0) भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति कतिपय शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि ।

भवदीय
(आर0पी0मिश्रा) 3/09/2013
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या : / दिनांकित :
प्रतिलिपि– वनक्षेत्राधिकारी, भिलंगना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0 पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी